न्यायालय उप जिलाधिकारी माँट [मथुरा]
वाद संख्या 10/09-10 धारा 143 ज॰ वि॰ एवं भू॰ व्य॰ अधि॰
बाबा कन्हैया महाविद्यालय गढ़ी कौलाहर तहसील माँट जिला मथुरा द्वारा :-
प्रबन्धक हरिओम पाठक पुत्र प्रेमराम पाठक नि॰ गढ़ी कौलाहर तहसील माँट [मथुरा]

—— बनाम ——

राज्य, उ0 प्र0 सरकार मौजा गढ़ी कौलाहर तहसील माँट जिला मथुरा ।

नकल **आदेश** दिनांक 7-5-10

प्रार्थी हरिओम पाठक पुत्र प्रेमराम पाठक प्रबन्धक बाबा कन्हैया महाविद्यालय गढ़ी कौलाहर तहसील माँट द्वारा प्रार्थनापत्र इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा मौजा गढ़ी कौलाहर के खाता नं॰ 137 खसरा नं॰ 232 रकबा 1-627 है॰ में से भाग में से रकबा 1-011 है॰ का बैनामा विक्रेतागण प्रेमराम पुत्र [illegible] व श्रीमती [illegible] पत्नी कुन्दनलाल नि॰ गढ़ी कौलाहर से [illegible] है । जिसका दा॰ खा॰ भी हो चुका है । इस क्रय की गई भूमि पर वह कॉलेज है । जिसका प्रबन्धक वादी है और इस भूमि में विद्यालय बन रहा है । इस भूमि में किसी प्रकार का कोई कृषि नहीं हो रही है । यह भूमि आबादी के रूप में प्रयोग होने के कारण आबादी घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई है । वाद में शपथ पत्र, स्थल नक्शा एवं [illegible] दाखिल किये गये हैं एवं नकल खसरा व खतौनी एवं नक्शा नजरी भी दाखिल किया गया है ।

तहसीलदार माँट से जाँच कराई गई तथा स्वयं मैंने भी स्थल पर जाकर निरीक्षण किया । तहसीलदार माँट की जाँच आख्या दिनांक 27-4-10 द्वारा प्रार्थी के कथन की पुष्टि करते हुए प्रश्नगत भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है । स्थल पर प्रश्नगत भूमि में किसी कृषि सम्बन्धी बागवानी, पशुपालन, मत्स्यपालन एवं कुक्कुट पालन आदि जैसे कार्य में प्रयोग नहीं लाई जा रही है । अतः आवेदित प्रश्नगत क्रय की गई भूमि को धारा 143 के [illegible] अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है । सभी सहखातेदारों के शपथपत्र सहमति प्रदर्शित करते हुये दाखिल किये गये हैं । नकल खतौनी सन् 1417 फ॰ में प्रश्नगत भूमि आबादी [illegible] अंकित की गई है । जिसकी [illegible] नकल खतौनी दाखिल कर दिया गया है ।

अतः स्थल निरीक्षण एवं तहसीलदार माँट की आख्या दिनांक 27-4-10 के आधार पर प्रश्नगत भूमि [illegible] के नियम 135 निर्धारित प्रारूप पर निम्नानुसार अकृषिक भूमि घोषित की जाती है :-

ग्राम का नाम	भूमिधर का नाम व पता पिता का नाम नि॰ जिला [मथुरा]	खाता संख्या	रकबा	लगान	अकृषिक घोषित किया गया खसरा संख्या	रकबा	[illegible]	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
गढ़ी कौलाहर	[illegible], शिवकुमार, [illegible] कुन्दनलाल [illegible] श्रीमती [illegible] हरिओम पाठक [illegible]	137	1-627	60-25	232	1-011है॰	—	1-627 में से [illegible] 1-011है॰ रकबा [illegible]

उपरोक्तानुसार प्रश्नगत भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है । इस आदेश की एक प्रति तहसीलदार माँट को व एक प्रति उप निबन्धक माँट को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय बाद पत्रावली दा॰ द॰ हो जाय ।

[राजीव कुमार]
उप जिलाधिकारी माँट